



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273576
CG-DL-E-18062026-273576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3094]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3094]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

का.आ. 3216(अ).— केंद्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 3 और धारा 11 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आप्रवास और विदेशियों विषयक आदेश, 2025 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आप्रवास और विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2026 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक को प्रवृत्त होगा।

2. आप्रवास और विदेशियों विषयक आदेश, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), के पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(कक) “भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक” से नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (डड) में यथा परिभाषित भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक अभिप्रेत है।’

3. उक्त आदेश के पैरा 14 के उपपैरा (2) में, “आवश्यक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के पश्चात्” शब्दों के बाद “अथवा अनुज्ञापत्र के बिना, यथास्थिति,” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त आदेश की तीसरी अनुसूची में, परिशिष्ट में, “राजस्थान” शीर्ष के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

क्र. सं.	राजस्व जिला	तहसील	ब्लाक	उप-मंडल	टिप्पणी
“ जिला: जैसलमेर					
1	जैसलमेर	पोखरण	-	-	एनएच-11 के पश्चिम में स्थित पोखरण तहसील का क्षेत्र
2	जैसलमेर	जैसलमेर	-	-	एनएच-11 के पश्चिम में स्थित तहसील जैसलमेर का क्षेत्र तथा एनएच-68 के पश्चिम में स्थित जैसलमेर नगर मुख्यालय से तहसील फतेहगढ़ की सीमा तक जाने वाले क्षेत्र
3	जैसलमेर	रामगढ़	-	-	रामगढ़ तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
4	जैसलमेर	सैम	-	-	सैम तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
5	जैसलमेर	फतेहगढ़	-	-	एनएच-68 के पश्चिम में स्थित तहसील फतेहगढ़ का क्षेत्र
जिला : बीकानेर					
1	बीकानेर	खाजूवाला	-	-	खाजूवाला तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
2	बीकानेर	छत्रगढ़	-	-	छत्रगढ़ तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
3	बीकानेर	पूगल	-	-	पूगल तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
4	बीकानेर	बजू	-	-	बजू तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
5	बीकानेर	लूणकरणसर	-	-	एनएच-62 के पश्चिम में स्थित तहसील लूणकरणसर का क्षेत्र, जिसमें महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का क्षेत्र भी सम्मिलित है
जिला : श्रीगंगानगर					
1	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	-	-	एनएच-62 के पश्चिम में स्थित श्रीगंगानगर तहसील का क्षेत्र
2	श्रीगंगानगर	श्रीकरणपुर	-	-	श्रीकरणपुर तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
3	श्रीगंगानगर	पदमपुर	-	-	एनएच-62 के पश्चिम में स्थित तहसील पदमपुर का क्षेत्र

4	श्रीगंगानगर	गजसिंहपुर	-	-	गजसिंहपुर तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
5	श्रीगंगानगर	रायसिंह नगर	-	-	रायसिंहनगर तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
6	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़	-	-	अनूपगढ़ तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
7	श्रीगंगानगर	घडसाना	-	-	घडसाना तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
8	श्रीगंगानगर	रावला	-	-	रावला तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
9	श्रीगंगानगर	श्रीविजयनगर	-	-	श्रीविजयनगर तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
10	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	-	-	एनएच-62 के पश्चिम में स्थित सूरतगढ़ तहसील का क्षेत्र
जिला : बाड़मेर					
1	बाड़मेर	सेडवा	-	-	सेडवा तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
2	बाड़मेर	धनाऊ	-	-	धनाऊ तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
3	बाड़मेर	चौहटन	-	-	चौहटन तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
4	बाड़मेर	रामसर	-	-	रामसर तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
5	बाड़मेर	गडरारोड	-	-	गडरारोड तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
6	बाड़मेर	शिव	-	-	एनएच-68 के पश्चिम में स्थित शिव तहसील का क्षेत्र
जिला : फलोदी					
1	फलोदी	बाप	-	-	एनएच-11 के पश्चिम में स्थित बाप तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
2	फलोदी	फलोदी	-	-	एनएच-11 के पश्चिम में स्थित फलोदी तहसील का संपूर्ण क्षेत्र
जिला : जालौर					
1	जालौर	सांचोर	सांचोर	-	-
2	जालौर	चित्तलवाना	चित्तलवाना	-	-

टिप्पण: उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात्—

- (i) एनएच संख्या 62, 11 और 68 पर स्थित उन नगरों, कस्बों तथा ग्रामों के परिधीय क्षेत्र, जिनसे होकर उक्त राजमार्ग गुजरते हैं;
- (ii) श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, बीकानेर, फलोदी, बाप, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर और सांचोर की नगर सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र;
- (iii) जैसलमेर जिले के पर्यटन हित में प्रयुक्त ग्राम और पर्यटन-स्थल, अर्थात् अमरसागर, लुद्रवा, कुलधरा, बड़ा बाग (ब्लैक बार), अकाल, सैम, ऊंडा तथा खुहड़ी, जहां मरुस्थलीय सफारी, कैंपिंग स्थल, डेजर्ट रैली आदि पर्यटन क्रियाकलाप

संचालित किए जाते हैं तथा इन स्थलों को जाने वाले मार्गों के दोनों ओर 500 मीटर तक का क्षेत्र और ऐसे ग्रामों की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

[फा. सं. 25022/04/2025-एफ. I]

डॉ. संदीप एन महात्मे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3986(अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 18th June, 2026

S.O. 3216(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 read with sections 3 and 11 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Immigration and Foreigners Order, 2025, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) This Order may be called the Immigration and Foreigners (Amendment) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Immigration and Foreigners Order, 2025 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 2, sub-paragraph (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(aa) “Overseas Citizen of India Cardholder” means the Overseas Citizen of India Cardholder as defined in clause (ee) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955)’.

3. In the said Order, in paragraph 14, in sub-paragraph (2), after the words “after obtaining necessary permit”, the words “or without permit, as the case may be,” shall be inserted.

4. In the said Order, in the Third Schedule, in the Appendix, for the entries under the heading “RAJASTHAN”, the following entries shall be substituted, namely: —

Sl. No.	Revenue District	Tehsil	Block	Sub-Division	Remarks
“District : Jaisalmer					
1	Jaisalmer	Pokaran	-	-	Area of Tehsil Pokaran situated on west of NH – 11.
2	Jaisalmer	Jaisalmer	-	-	Area west of NH-11 of Tehsil Jaisalmer and the area west of NH 68 passing from Jaisalmer city HQ to Tehsil Fatehgarh border.
3	Jaisalmer	Ramgarh	-	-	Entire area of Tehsil Ramgarh
4	Jaisalmer	Sam	-	-	Entire area of Tehsil Sam
5	Jaisalmer	Fatehgarh	-	-	Area of Tehsil Fatehgarh situated on west of NH 68.

District : Bikaner					
1	Bikaner	Khajuwala	-	-	Entire area of Tehsil Khajuwala
2	Bikaner	Chhatargarh	-	-	Entire area of Tehsil Chhatargarh
3	Bikaner	Poogal	-	-	Entire area of Tehsil Poogal
4	Bikaner	Bajju	-	-	Entire area of Tehsil Bajju
5	Bikaner	Lunkaransar	-	-	Area of Tehsil Lunkaransar situated on west of NH-62, including the area of Mahajan Field Firing Range
District : Sriganganagar					
1	Sriganganagar	Sriganganagar	-	-	Area of Tehsil Sriganganagar situated on west of NH-62
2	Sriganganagar	Srikaranpur	-	-	Entire area of Tehsil Srikaranpur
3	Sriganganagar	Padampur	-	-	Area of Tehsil Padampur situated on west of NH-62
4	Sriganganagar	Gajsinghpur	-	-	Entire area of Tehsil Gajsinghpur
5	Sriganganagar	Raisinghnagar	-	-	Entire area of Tehsil Raisinghnagar
6	Sriganganagar	Anupgarh	-	-	Entire area of Tehsil Anupgarh
7	Sriganganagar	Gharsana	-	-	Entire area of Tehsil Gharsana
8	Sriganganagar	Rawla	-	-	Entire area of Tehsil Rawla
9	Sriganganagar	Srivijaynagar	-	-	Entire area of Tehsil Srivijaynagar
10	Sriganganagar	Suratgarh	-	-	Area of Tehsil Suratgarh situated on west of NH-62
District : Barmer					
1	Barmer	Sedwa	-	-	Entire area of Tehsil Sedwa
2	Barmer	Dhanau	-	-	Entire area of Tehsil Dhanau
3	Barmer	Chohtan	-	-	Entire area of Tehsil Chohtan
4	Barmer	Ramsar	-	-	Entire area of Tehsil Ramsar
5	Barmer	Gadraroad	-	-	Entire area of Tehsil Gadraroad
6	Barmer	Sheo	-	-	Area of Tehsil Sheo situated on west of NH-68.
District : Phalodi					
1	Phalodi	Bap	-	-	Entire area of Tehsil Bap situated on west of NH-11

2	Phalodi	Phalodi	-	-	Entire area of Tehsil Phalodi situated on west of NH-11
District : Jalore					
1	Jalore	Sanchore	Sanchore	-	-
2	Jalore	Chitalwana	Chitalwana	-	-

Note: The protected areas specified in the above table shall not apply to the following areas, namely: -

- (i) The peripheral areas of cities, towns and villages on the National Highway Nos. 62, 11 and 68 through which it passes;
- (ii) the city limits of Sriganganagar, Suratgarh, Bikaner, Phalodi, Bap, Pokaran, Jaisalmer, Barmer and Sanchore;
- (iii) the villages and areas of tourist interest namely, Amarsagar, Ludrava, Kuldara, Bada Bagh (Black Bar), Akal, Sam, Unda and Khuhri of Jaisalmer district used for tourism purposes such as desert safaris, camping sites, desert rallies, etc., extending 500 meters on either side of the roads leading to these places and boundaries of such villages.”

[F. No. 25022/04/2025-F. I]

Dr. SANDEEP N MAHATME, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.3986 (E), dated the 1st September, 2025.